

नियम-62 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा द्वारा उठाया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :-

“दिनांक 17.09.2020 को अमर उजाला/दिव्य हिमाचल में प्रकाशित शीर्षक चौपाल में हवा के झोंके से गुल हो जाती है बत्ती व दिव्य हिमाचल में आठ साल से क्यों नहीं बना 66 केवी सब-स्टेशन।”

---

माननीय अध्यक्ष महोदय,

### वस्तुस्थिति इस प्रकार है:-

- चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को बिजली की सप्लाई मुख्यतः 66/22 के0वी0 सब-स्टेशन हुल्ली (Hulli) तथा 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन कुपवी से की जाती है।
- इसके अतिरिक्त इस विधानसभा क्षेत्र का कुछ भाग 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन Shillai से भी feed किया जाता है।
- चौपाल, नेरवा, मड़ोग, खरोच, पौरिया, सरांहा, चम्बी, झिकनीपुल, बामटा, टिकरी इत्यादि क्षेत्र व इनसे लगते अन्य गावों को विद्युत आपूर्ति 66/22 के0वी0 सब-स्टेशन Hulli से की जाती है।
- Hulli सब-स्टेशन से चौपाल के लिए 22 के0वी0 लाइन घने जंगलो व उचाई वाले क्षेत्र खिड़की से होते हुए गुजरती है। भारी वर्षबारी व वर्षा के दौरान देहा से चम्बी के बीच में भू-स्खलन व पेड़ों के गिरने से 22 के0वी0 लाइन प्रायः Damage होती है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है।
- पिछले कुछ वर्षों में सैज से चौपाल रोड़ की widening के काम के कारण भी यह लाइन क्षतिग्रस्त हो रही है क्योंकि लाइन काफी जगह पर रोड़ के साथ-साथ है तथा widening की cutting के कारण कुछ पेड़ कमजोर हो गए हैं तथा वह लाइन पर बार-बार गिरते हैं जिससे लाइन का कण्डक्टर तथा पोल टूटता है।

- इस लाइन का बहुत लम्बा होना भी ज्यादा बाधा का कारण बनता है। इसके समाधान के लिए झिकनीपुल नामक स्थान पर 22 के0वी0 VCB के साथ कंट्रोल प्वाइंट का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस कंट्रोल प्वाइंट के निर्माण के उपरान्त कुछ स्पर लाइनों की tripping's झिकनीपुल पर ही रूक जाएगी।
- 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन कुपवी के लिए 33 के0वी0 लाइन चाढ़णा से हरीपुरधार होते हुए बनाई गई है। सर्दियों में अधिक बर्फबारी के दौरान यह 33 के0वी0 लाइन भी क्षतिग्रस्त होती है।
- 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन शिलाई से कुछ क्षेत्र को feed किया जाता है जिसमें सर्दियों में overloading के कारण कुछ पावर कट लगाने पड़ते हैं। इसका समाधान भी 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन शिलाई की Augmentation के साथ किया जा रहा है।
- क्योंकि चौपाल विधानसभा क्षेत्र को मुख्यतः सप्लाई 22 के0वी0 Hulli-Chopal लाइन से की जाती है जिसकी कुल लम्बाई (स्पर लाइन को मिलाकर) 447 कि0मी0 है। इस समस्या के समाधान के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 2X6.3 एम0वी0ए0 क्षमता के 66/22 के0वी0 के उपकेन्द्र (लास्टाधार) के निर्माण हेतु स्कीम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा दिनांक 24.01.2012 को ₹ 23.56 करोड़ के लिए मंजूर की गई।
- इस स्कीम में अब-तक ₹ 29.627 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है जिसमें से ₹ 11.81 करोड़ का भुगतान Net Present Value के रूप में किया गया है। इसकी संशोधित योजना ₹ 56.37 करोड़ की बनाई गई है।
- इस सब-स्टेशन के निर्माण के लिए टर्नकी के आधार पर बार-बार निविदाएं आमन्त्रित की गईं। परन्तु दूरदराज एवं कठिन क्षेत्र होने के कारण कम्पनियों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई अतः निविदाएं खोलने की तिथि छः बार बढ़ाई

गई। अन्त में पांच कम्पनियों ने निविदाएं खरीदी परन्तु सिर्फ एक ही कम्पनी (M/S Energo Engineering Projects), नई दिल्ली द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई। इस कार्य को (M/S Energo Engineering Projects), को 23.02.2015 को आबंटित किया गया। कार्य लेने के बाद कम्पनी ने काम में कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 20.05.2017 को उसके ज्वायंट वेंचर M/s Absolute Projects (India) Ltd. New Delhi को यह कार्य दिया गया। M/s Absolute Projects (India) Ltd. द्वारा अभी तक सब-स्टेशन का 45 प्रतिशत कार्य किया गया है। पिछले वर्ष इस कार्य को गति प्रदान की गई थी परन्तु कोविड-19 महामारी के कारण इस काम की प्रगति धीमी हो गई है।

- इस कार्य के Major equipment जैसे कि ट्रांसफार्मरज़, Isolators, Breakers etc. का arrangement कर लिया गया है। इस कार्य को अब जून, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 66 के0वी0 सैंज से चौपाल लाइन की टर्नकी के आधार पर निर्माण कार्य की निविदाएं 21.06.2014 को आमन्त्रित की गई निविदाओं को खोलने की तिथि पांच बार बढ़ाई गई परन्तु किसी भी कम्पनी ने 22.11.2014 तक निविदाएं प्रस्तुत नहीं की। इस तथ्य को मध्यनजर रखते हुए विभाग ने निर्णय लिया कि 66 के0वी0 लाइन की निर्माण सामग्री की आपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी तथा इरैक्शन का कार्य निविदाएं आमन्त्रित करके किया जायेगा। इसके उपरान्त सामग्री खरीदने व इरैक्शन के कार्य वर्ष 2016 एवं 2017 में आबंटित किए गए हैं। इस लाइन के 32 टावर की foundations तथा 8 टावर की erection का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस लाइन के लिए 87 प्रतिशत टावर material की सप्लाई आ चुकी है। इस लाइन के निर्माण में कुल 69 टावर हैं जिसमें से 35 टावर वन भूमि में आते हैं जिसकी मंजूरी हाल ही में दिनांक 06.08.2020 को इस शर्त पर दी गई है कि माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 In WP(C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए0 के तहत वन भूमि

के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय को लिए जाने के उपरान्त ही तदानुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। यदि वन भूमि के प्रत्यावर्तन की मंजूरी सितम्बर, 2020 तक मिल जाती है तो टावर लाइन का कार्य 30.09.2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

\*\*\*\*\*